न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 126 / 12
विजय रजक वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

30-09-14 प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी विजय रजक, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत– वनगॉव पूर्वी, प्रखण्ड– कहरा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1156–2 दिनांक– 11.09.2012 द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि मान्नीय मुख्य मंत्री, बिहार, पटना एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को उपभोक्ताओं से प्राप्त परिवाद–पत्र पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 176–2 दिनांक– 18.04.2012 एवं 275–2 दिनांक– 11.07.2012 द्वारा स्पष्टीकरण/ कारण– पूच्छा की मांग अपीलार्थी से की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण/कारण–पृच्छा समर्पित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है।

अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें बनगॉव पूर्वी पंचायत के जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या– 1/2001 एवं पी0डी0एस0 कन्ट्रोल आर्डर 2001 के तहत अनुज्ञप्ति 548/07 प्राप्त है एवं तदनुसार अपीलार्थी आवंटित उपभोक्ता सामग्रियों का उठाव कर लाभुकों के बीच निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में निगरानी समिति के समक्ष वितरण करते चले आ रहे हैं। कभी भी किसी उपभोक्ता ने उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि अकस्मात उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा का ज्ञापांक 1156–2 दिनांक– 11.09.2012 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है। अपीलार्थी के बिहार ट्रेड आर्टिकिल्स (लाईसेन्स यनिफिकेशन) आर्डर तथा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कन्ट्रोल आर्डर 2001 की धारा–7 के प्रावधान का उल्लेख किया है, जो निम्नप्रकार है:–

" No order of cancellation shall be made under this clause unless the licensee has been given a reasonable opportunity stating its case against the proposed cancellation."

अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि तथाकथित कारण–पृच्छा मागे जाने संबंधी पत्र का तामिला उनपर करवाये बिना ही अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है, जो प्रावधान के प्रतिकूल है।

अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध करने की कार्रवाई मान्नीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक 1101–2 दिनांक– 12.04.2012 एवं 276–2 दिनांक– 11.07.2012 द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा से अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। प्रखण्ड आपूर्ति

पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, कहरा ने पत्रांक– 173 दिनांक– 25.08.2012 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि दिनांक– 25.08.2012 को स्थलीय जॉच कर आरोपकर्त्ताओं से पूछ–ताछ की गयी। उपभोक्ताओं ने अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को गलत बतलाते हुए अपना बयान दिया कि उन्हें अपीलार्थी से कोई शिकायत नहीं है तथा अपीलार्थ द्वारा निर्धारित मात्रा में उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति की जाती है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन पर विचार किये बिना अनुज्ञप्ति रद्ध करने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया है।

अपीलार्थी का अग्रतर यह भी कथन है कि कुछ स्वार्थी तत्व जो अपने को नेता कहता है कि अपीलार्थी पर दवाब डालकर निहित स्वार्थ की पूर्ति चाहते थे, जिसे अपीलार्थी द्वारा इन्कार करने पर कुछ उपभोक्ता को बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 में नाम जुड़वाने की बात कहकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया गया, जिसे बाद में परिवाद पत्र का शकल देकर मुख्यमंत्री के जनता दरवार में अपीलार्थी के विरूद्ध आवेदन दिया गया है। इस बिन्दु पर भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बिना सम्यक विचार किये आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों को अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सरहसा के आदेश ज्ञापांक 1556–2 दिनांक 11.09.2012 का अवलोकन किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये परिवाद पत्र के संदर्भ में कार्यालय पत्रांक 176–2 दिनांक 18.04.2012 से स्पष्टीकरण के साथ सभी योजनाओं की पंजी की माँग की गयी, लेकिन विक्रेता/अपीलार्थी ने पत्र प्राप्त कर न तो अपना स्पष्टीकरण दिया, न ही कोई पंजी उपलब्ध करायी। अपीलार्थी से पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा अपने ज्ञापांक 275–2 दिनांक 11.07.2012 से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की। लेकिन इस पत्र का भी जबाव अपीलार्थी के द्वारा नहीं दिया गया और न ही पंजी जाँच हेतु उपलब्ध कराया गया। जाँच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को वितरण पंजी नहीं दिया जाना अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंधन है।

अतः अनुज्ञप्ति के शर्तों उल्लंधन के आरोप में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्ध करना उचित है। अपील आवेदन पत्र खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

30.9.14

जिला पदाधिकारी
सहरसा।